निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 119 वर्ष 2018-2019

यह निरीक्षण प्रतिवेदन, अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो. नि. वि. खटीमा द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो. नि. वि., खटीमा के माह 01/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर सिंह/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री मनोज कुमार सिंह/पर्यवेक्षक एवं श्री पंकज कुमार/वरिष्ठ लेखापरीक्षक, द्वारा दिनांक 20/02/2019 से 02/03/2019 तक श्री एस के त्यागी/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर एन यादव/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी व श्री राजेश डोभाल/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30/01/2018 से 08/02/2018 तक श्री नीरज चिरंगु/वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2016 से 12/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 01/2018 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य । विधान सभा क्षेत्र- खटीमा ,नानकमत्ता, सितारगंज ।

1. (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (रु करोड़ मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		शासन को समर्पित राशि / अवशेष	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना (समर्पित)	गैर स्थापना (अवशेष)
2015-16	-	-	5.1009	5.0070	27.5320	27.5320	-	-
2016-17	-	-	5.8588	5.8405	25.0020	25.0020	-	-
2017-18	-	-	10.0446	10.0446	4.7714	4.7714	-	-
2018-19	-	-	12.6394	8.7176	6.3904	5.0110	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम (नाबार्ड)	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
		शून्य			

2. इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए , इकाई की श्रेणी "A" है।

3. विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(1) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासन ।

तकनीकी संवर्ग मे:

(2) मुख्य अभियंता (विभागाध्यक्ष) स्तर -1 (3) मुख्य अभियंता, गढ़वाल क्षेत्र स्तर -2, (4) मुख्य अभियंता, स्तर -2 कुमायु अल्मोड़ा, अधीक्षण अभियंता (सिविल) अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक), अधिशासी अभियंता (सिविल), अधिशासी अभियंता (वि/या), सहायक अभियंता (सिविल), सहायक अभियंता (वि/या), कनिष्क अभियंता (सिविल), कनिष्क अभियंता (वि/या), कनिष्क अभियंता (प्राविधिक), मानचित्रकार, वरिष्ठ भू- वैज्ञानिक, भू- वैज्ञानिक, सहायक भू- वैज्ञानिक, विधि अधिकारी, कनिष्क सहायक (रसायन), प्रयोगशाला सहायक, सर्वेयर ।

गैर तकनीकी संवर्ग मे :

(1) वित्त नियंत्रक , (2) खंडीय लेखाकार (3) सहायक लेखाधिकारी (4) प्रशासनिक अधिकारी (5) लेखाकार (6)प्रधान सहायक ,(7) वरिष्ठ सहायक ,(8) कनिष्ठ सहायक।

4. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो. नि. वि. खटीमा को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो. नि. वि. खटीमा की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

5. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971

(डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 19/02/2019 से 19/02/2019 तक खंड का निरीक्षण किया गया।
4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/2018 तथा 09/2018 तक की गई।
5. फार्म 51: माह 01/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु मे)।

   भाग प्रथम `4883706.00

   भाग द्वितीय `9582225.15

   खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 01/19 के अन्त में (धनराशि रु मे)

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम `3245191.00

   (ख) सामग्री क्रय शून्य

   (ग) नगद परिशोधन शून्य

   (घ) निक्षेप `74228912.56

   (ङ) भण्डार `(-)7579806.00

भाग – 2 'ब'

प्रस्तर–1 ठेकेदार को अर्थदण्ड की वसूली में रू0 27.10 लाख का अनुचित लाभ एवं रू0 86.24 लाख का व्ययावर्तन।

शासनादेश सं0–01/111(2)/14–47 (प्रा0आ0)/2013 टी0सी0 दिनांक 08–02–2014 द्वारा अनुदान सं0 31 लेखा शीर्षक 5054–04–796–02–00–24 (पूँजीगत) **ट्राईबल सब** प्लान के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में सिकलपट्टी बल्लीघाट से कुँआखेड़ा श्यामसिंह नेगी के घर से भुड़िया थारू की ओर भूड़ा किशनी में श्याम सिंह की चक्की से सिकलपट्टी एवं ट्यूरी से श्रीलंका होते हुए उल्धम तक मार्ग के निर्माण की स्वीकृति, लागत रू0 289.54 लाख में प्रदान की गयी थी। शासनादेश के बिन्दु सं0 IV एवं IX में स्पष्ट किया गया था कि अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के दिशा निर्देशानुसार पालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यक क्षूतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के पैरा 36(d) में Liquidated Damages के प्रकरण में ठेकेदार से संविदा लागत के 0.5% प्रति सप्ताह (संविदा लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत) की दर से अर्थदण्ड की वसूली की जानी चाहिए। कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, हल्द्वानी के कार्यालय ज्ञाप पंत्राक 2125 दिन0 23–05–2014 द्वारा रू0 289.54 लाख हेतु प्रदान की गयी थी। कार्य के निष्पादन हेतु मैं राजश्यामा कन्ट्रक्शन प्रा0लि0, पी0–90 बी0 संजयनगर, गाजियाबाद के साथ अगस्त 2014 में रू0 275.11 लाख हेतु अनुबन्ध (अनुबन्ध सं0 13/SE– 4/2014 दिनांक 27–08–2014) गठित किया गया था। अनुबन्धानुसार, कार्य को अगस्त 2014 में प्रारम्भ कर नवम्बर 2015 तक पूर्ण किया जाना था।

अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, खटीमा के अभिलेखों की जॉच में संज्ञान में आया कि कार्य को अनुबन्धित तिथि से लगभग 18 माह विलम्ब (जून 2017 में) से पूर्ण किया गया था जबकि ठेकेदार को कोई समयावृद्धि प्रदान नहीं की गयी थी। बाजवूद इसके, खण्ड द्वारा ठेकेदार पर मात्र रू0 41,790/– (अनुबन्ध लागत का केवल 15 प्रतिशत) का अर्थदण्ड लगाया गया था जबकि ठेकेदार से उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुरूप निम्न प्रकार अर्थदण्ड की वसूली की जानी चाहिए थी–

विलम्ब की अवधि= 18 माह = 18 X 4 सप्ताह

अर्थदण्ड की दर = 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह (अधिकतम अनुबन्ध लागत का 10 प्रतिशत)

अनुबन्ध की राशि = रू0 275.11 लाख

अर्थदण्ड की राशि = रू0 $\frac{275.11 \text{ X } 0.5 \text{ X } 18 \text{ X } 4}{100}$ = रू0 99.03 लाख

(अधिकतम रू0 27.50 लाख)

कम वसूली की गयी राशि = रू0 27.51 – 0.41 = 27.10 लाख

अभिलेखों की आगामी जॉच में यह भी ज्ञात हुआ है कि जनवरी 2019 तक कार्य पर रू0 196. 71 लाख (फार्म 64 के अनुसार) का व्यय किया गया था तथा भौतिक रूप से कार्य को पूर्ण कर लिया गया था। कार्य के देयकों के अवलोकन में यह भी प्रकाश में आया कि संदर्भित कार्य पर अधोलिखित व्यय निम्न कार्यो से व्ययावर्तन कर किया गया था–

क्रमांक	**कार्य जिसके नामे व्यय भारित किया गया**	**भारित व्यय (रू0 में)**
01.	जनपद ऊधमसिंहनगर में नौसर आर्टीजन बोर से निर्मला कोन्वेन्ट स्कूल होते हुए नौसर पाटिया **मार्ग** का पुनः निर्माण (राज्य सेक्टर)	42,21,621.00
02.	राज्य योजना के अन्तर्गत नानकमत्ता के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गो का नव निर्माण	15,00,000.00
03.	जनपद ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत खटीमा में ग्राम पंचायत भूड़ मसोलिया में विभिन्न स्थानों पर टॉप सी0सी0 का निर्माण	29,02,773.00
	योग	**86,24,394.00**

इस प्रकार, खण्ड द्वारा संदर्भित कार्य पर रू0 86.24 लाख का व्यय अन्य कार्यो की स्वीकृत राशि से सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति के बिना गया गया था एवं अर्थदण्ड की कम वसूली कर ठेकेदार को रू0 27.10 लाख का अनुचित लाभ दिया गया था।

इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि संदर्भित कार्य में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अन्य कार्यो में स्वीकृत राशि से व्ययावर्तन किया गया। धन उपलब्धि उपरान्त, समायोजन कर लिया जायेगा। अर्थदण्ड की वसूली के सम्बन्ध में बताया

गया कि भविष्य में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना संदर्भित कार्य पर किया **जाने वाला** व्यय अन्य कार्यो पर भारित किया जाना नियम विरूद्ध है। अर्थदण्ड की वसूली के सम्बन्ध में भी खण्ड की कार्यवाही उपयुक्त नहीं थी क्योंकि शासनादेश में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि कार्य के निष्पादन में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एंव अन्य शासकीय निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर संख्या 2:- रू0 51,47,729 जी0एस0टी0 का संविदाकारों को अधिक भुगतान किया जाना ।

शासन के पत्रांक संख्या 2137/111(2)/17–27(सामान्य)/2007 दिनांक 05 सितम्बर 2017 में दिनांक 1.7.2017 से जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त देयकों के भुगतान/निविदा की प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा–निर्देश मे case-1 में स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 30.6.2017 तक दाखिल एम0बी0 के सम्बन्ध में कर दायित्व वैट प्रणाली के अनुसार होगा तथा इसके उपरान्त प्रस्तुत एम0बी0 के सम्बन्ध में कर के दायित्व का निर्धारण जी0एस0टी0 के प्राविधानों के अनुसार होगा। इसके अतिरिक्त यदि इन्वाईस प्रस्तुत किया जाता है, तो इस बिल की तिथि को संविदाकार की कर देयता होगी।

उत्तराखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 की धारा 2 की उप धारा 119 में "work contract" means a contract for building construction, Fabrication, completion, errection,installation,fittingout,improvement,modification,repair maintence, renovation, alteration or commissing of any immovable property wherein transfer of property in goods(whether as goods or in same other form) is involved in the execution of such contract का कार्य करने वाले संविदाकारों को भी डीलर (व्यौहारी) माना गया है, इसलिये प्रत्येक डीलर जिसका कारोबार उत्तराखण्ड में रू0 10.00 लाख प्रतिवर्ष है, उसे माल एवं सेंवाकर अधिनियम की धारा 22 के अनुसार पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तथा प्रत्येक पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी को अधिनियिम की धारा 31 के अनुसार बिक्री किये गये माल एवं सेवा की टैक्स इन्वाइस निर्धारित प्रारूप में जारी करना अनिवार्य है।

Government of India/State
Department of .....

Form GST INV – 1
(See Rule --------)
Application for Electronic Reference Number of an Invoice

1. GSTIN
2. Name
3. Address
4. Serial No. of Invoice
5. Date of Invoice

Details of Receiver (Billed to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Details of Consignee (Shipped to)
Name
Address
State
State Code
GSTIN/Unique ID

Sr. No.	Description of Goods	HSN	Qty.	Unit	Rate (per item)	Total	Discount	Taxable value	CGST		SGST		IGST	
									Rate	Amt.	Rate	Amt.	Rate	Amt.
	Freight Insurance Packing and Forwarding Charges													
		Total												
	Total Invoice Value (In figure) Total Invoice Value (In Words)													
	Amount of Tax subject to Reverse Charges													

तथा जारी (Tax Invoice) बिक्री के बिलों पर अलग से बिल की धनराशि के साथ साथ सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 कर की मॉग अलग से प्रदर्शित करनी होगी, तभी उनकों अलग से देय कर सी0जी0एस0टी0 एवं एस0जी0एस0टी0 धनराशि को भुगतान पर किया जा सकता था, अन्यथा अलग से कर का भुगतान नही किया जा सकता । अधिनियम की धारा 122(1) की उप धारा (i) के अनुसार यदि कोई पंजीकृत/रजिस्टर्ड ब्यौहारी किसी बीजक के जारी किए बिना, किसी माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करता है, या ऐसा किसी पूति के लिये झूठा या गलत बीजक जारी करता है तो वह अपराध करता है। या धारा 122 (3) (ड) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में बीजक को जारी करने में असफल रहता है, या अपनी लेखा पुस्तकों में बीजक के लिऐ कैफियत दने में असमर्थ रहता है, या धारा 132 (1) की उप धारा (क) इस अधिनियम या तद्वीन नियमों के उल्लंघन में किसी बीजक को जारी किए बिना ही किसी माल या सेवाओं या

दोनों की पूर्ति कर अपवंचन के आशय से करता है, तो ऐसी शास्ति के लिये दायी होगा जो पच्चीस हजार रूपये तक हो सकेगी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता **निर्माण खंड** लोक निर्माण विभाग **खटीमा** द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी जी0एस0टी0 भुगतान से सम्बन्धित सूचना में पाया गया कि संविदी विभाग के द्वारा माह 7/2017 से 1/2019 कुल रू0 51,47,729 तक का भुगतान संविदाकार से टैक्स इनवाइस प्राप्त किये बिना ही कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान किया गया था, जबकि संविदी विभाग के द्वारा संविदकार को कार्य संविदा की धनराशि का भुगतान जी0एस0टी0 के प्रावधानों के अनुसार जारी टैक्स इन्वाइस पर ही किया जाना चाहिए था, जैसाकि शासनादेश संख्या 2137 दिनांक 5 सितम्बर 2017 एवं जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 के प्रावद्यानों में उल्लिखित था, अर्थात बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये संविदा कार्य की देय संविदा धनराशि **और** 12 प्रतिशत कर की धनराशि का भुगतान संविदाकार को प्रावद्यानों के विरूद्व किया गया था। इसलिये खण्ड कार्यालय के द्वारा कार्य संविदा की बिना टैक्स इन्वाइस प्राप्त किये भुगतान की गयी धनराशि एवं 12 प्रतिशत कर भुगतान की धनराशि संविदाकार से माल एवं सेवाकर अधिनियमों 2017 एवं नियम के अनुसार वसूली योग्य है, जोकि वसूली सम्प्रेक्षा में लम्बित रहेगी। क्योकि उपरोक्त से स्पष्ट है,कि रजिस्टर्ड ब्यौहारी संविदाकर की मंशा ही कर अपवंचन करने की थी, इसलिये उसके द्वारा अधिनियमों का पालन सुनिश्चित किये बिना ही संविदी विभाग से भुगतान प्राप्त किया गया था। इसलिये उस पर धारा 122 अपराध एवं शास्ति के प्रावद्यान भी लागू होगे।

इस संबंध में खण्ड कार्यालय से पूछने पर उत्तर में बताया गया कि तथ्यो एवं ऑकडों की पुष्टि की जाती है। संविदाकारों के द्वारा कोई भी जी0एस0टी0 की टैक्स इन्वाइस नही दी गयी हैं भविष्य में आडिट आपित्त के अनुसार टैक्स इन्वाइस प्राप्त करके ही जी0एस0टी0 का भुगतान संविदाकारों को किया जायेगा। यथाशीघ्र जी0एस0टी0 के प्रावद्यानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुऐ जी0एस0टी0 भुगतान दर्शायी गयी धनराशि रू0 51,47,729 **के चालान अन्य साक्ष्य ठेकेदार से प्राप्त** करके कार्यालय महालेखाकार को अवगत करा दिया जायेगा।

खण्ड कार्यालय के द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुऐ अनियमित तरीके से संविदाकारों को भुगतान की गयी जी0एस0टी0 धनराशि **के चालान अन्य साक्ष्य ठेकेदार से प्राप्त** करने हेतु आश्वासन दिया गया है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर-3 रु 3245191.00 विविध अग्रिम की वसूली लंबित रहना ।

(क) वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 578 के अनुसार विविध अग्रिम को निम्न चार श्रेणियों मे विभाजित किया गया है (1) उधार विक्रय (2) डिपॉजिट मद मे प्राप्त राशि से अधिक व्यय (3) हानि, त्रुटि के कारण हानि,आदि (4) अन्य मद मे ,किसी भी प्रकार से शासकीय हानि , इन सभी प्रकरणो मे अधिकारियों /कर्मचारियो /फर्मो/ठेकेदारो /अन्य विभागो के विरुद्ध विविध अग्रिम डाला जाता है एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 6 के नियम 584 के अनुसार इन सभी मदो मे विविध अग्रिम की धनराशि की वास्तविक वसूली की जानी चाहिए या किसी कारण से वसूली न हो पाने की दशा मे सक्षम अधिकारी के आदेश से जब तक बट्टे खाते मे न डाला जाए तब तक विविध अग्रिम लेखे से न हटाया जाए।

कार्यालय के लेखा अभिलेखो की नमूना लेखापरीक्षा मे पाया गया कि निम्न विवरण मासिक लेखा माह 01/2019 के अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध विविध अग्रिम अन्य मद, फर्मो/ ठेकेदारों के विरुद्ध विविध अग्रिम की धनराशि रु **3245191.00** लम्बी अवधि से वसूली हेतु लंबित है इस संबंध मे समायोजन की कोई कार्यवही नहीं की गयी है ।

इस संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि -पत्राचार किया जा रहा है । उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योकि वसूली लम्बी अवधि से नहीं की जा सकी है। अत: रु **3245191.00** की वसूली लंबित रहने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग 2 ब

प्रस्तर-4 रु 110.34 लाख धनराशि का व्ययवर्तन किया जाना व रु 35.72 लाख क्षतिपूर्ति (LD) की वसूली नहीं किया जाना ।

अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 36D के अनुसार मरम्मत के कार्य के लिए रु0 10 लाख तक संविदा मूल्य का 01 प्रतिशत प्रति सप्ताह तथा अन्य समस्त निर्माण कार्यों में विलम्ब के लिए संविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) प्रति सप्ताह, परन्तु अधिकतम् संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत की वसूली अर्थदंड/क्षतिपूर्ति के रूप मे ठेकेदार से की जानी चाहिए थी एव अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 42 (2) के अनुसार बचतों के सम्बन्ध में यदि किसी स्वीकृत प्राक्कलन के सापेक्ष वास्तविक कार्य पूर्ण होने पर कोई बचत हो, तब ऐसी धनराशि का प्रयोग अन्यत्र या अतिरिक्त कार्य में न किया जाय, जब तक कि इस प्रकार की बचतों का उपयोग अन्यत्र करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त न कर ली गई हो। लेखापरीक्षा मे पाया गया कि- राज्य योजना के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र सितारगंज मे विभिन्न मार्गो का नव निर्माण कुल लंबाई 7.100 किमी स्वीकृत राशि 411.69 लाख के निर्माण कार्य की प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकर्ति निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की गयी थी। जो दरे शेड्यूल आफ रेट मे स्वीकृत नहीं है बाजार भाव से ली गयी दरो के लिए अधीक्षण अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, कार्य की गुणवत्ता एव समयबध्यता हेतु संबन्धित अधिशासी अभियंता पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, किसी भी दशा मे कार्य को अपूर्ण की स्थिति मे समाप्त नहीं किया जाएगा । इस निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए अनुबंध संख्या 54 SE-2014 दिनांक 22/2/2014 का गठन किया गया था अनुबंधित राशि रु 3,57,29,474.69 थी कार्य प्रारम्भ की तिथि 22/2/2014 कार्य पूर्ण की तिथि अनुबंध के अनुसार तिथि 21/5/2015 थी जबकि वास्तविक रूप से कार्य 12/3/2017 को पूर्ण हुआ था एवं कुल 7.100 किमी रोड के सापेक्ष 6.600 किमी रोड का ही निर्माण किया गया था अर्थात 0.500 किमी रोड विथा अकबर से विटौरा गुरुद्वारा तक सड़क निर्माण नहीं किया गया था। उक्त निर्माण कार्य लेखा परीक्षा तिथि तक निर्माण कार्य अपूर्ण पर ही समाप्त कर दिया गया था। लेखापरीक्षा तिथि तक फाइनल बिल के अनुसार रु 301.35 लाख राशि व्यय की गयी थी। कार्य विलंब से पूर्ण की स्थिति मे कोई अर्थदंड नहीं लगाया गया था कार्य विलंब से पूर्ण करने पर 0.5 प्रति सप्ताह की दर से अनुबंधित राशि का 10% अर्थदण्ड लगाना चाहिए था रु 357.29 का 10 %= 35.72

लाख की वसूली नहीं की गयी थी रु 411.69 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष रु 301.35 लाख के ही बावचर प्रस्तुत किए गए थे, शेष राशि 411.69 -301.35 = 110.34 लाख धनराशि से अन्य निर्माण कार्य कराये गए थे, किन अनुबन्धो एव कार्य आदेशो के सापेक्ष व्यय की गयी है लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था जबकि मासिक लेखे मे 411.69 लाख राशि इस कार्य पर व्यय दर्शायी गयी थी जब कि व्यय अन्य कार्यो पर हुआ है लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे स्वीकार करते हुये बताया कि इस राशि से कंटीजेन्सी एव अन्य निर्माण कार्य कराये गए थे तथा क्षतिपूर्ति के संदर्भ मे बताया की भविष्य मे पालन किया जाएगा अत: रु 110.34 लाख धनराशि का व्ययवर्तन किया जाना व रु 35.72 लाख क्षतिपूर्ति (LD) की वसूली नहीं किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
59/2004-05	1,2,4,5	1	-
94/2005-06	-	1,2,3	-
60/2008-09	1	1,2	-
97/2010-11	1,2	1	-
87/2011-12	1	1	-
38/2014-15	-	1,2,3	-
16/2016-17	1	1,2,3	1
86/2017-18	-	1,2,3	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			अनुपालन आख्या बाद मे प्रेसित की जाएगी ।	

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

"शून्य"

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो. नि. वि., खटीमा तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(1) श्री,	के. के. तिलाड़ा	अधिशासी अभियंता

4. **विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।**

(1) श्री नारायण सिंह मेहता,	खंडीय लेखाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लो. नि. वि. खटीमा को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2